जनपद-संतकबीरनगर　　　　　　　　　　प्रेस विज्ञप्ति　　　　　　　　　　दिनाँक 03.10.2024

दबिश के दौरान 02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम **में 01- थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा** वारण्टी नाम पता पूर्णमासी पुत्र झकरी निवासी राउतपार थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को घर से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री मनीष कुमार जायसवाल, का0 आलोक कुमार, का0 अरुण कुमार।

02- थाना बखिरा पुलिस द्वारा वारण्टी नाम पता अलाउद्दीन पुत्र सुल्तान निवासी दुर्गजोत थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को घर से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री शम्भूराम, हे0का0 कोमल प्रसाद, का0 दीपक कुमार।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 03 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना धनघटा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 68 वाहनों से 62,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 03.10.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 68 वाहनों से 62,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री अजय सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में ***थाना धनघटा पुलिस* द्वारा** मु0अ0सं0 596/2024 धारा 65(1)/333/351(3) बीएनएस व ¾ पाक्सो एक्ट के मामले मे वांछित अभियुक्त नाम पता वीरेन्द्र उर्फ झिनक पुत्र राधेश्याम निवासी ग्राम धनघटा थाना धनघटा जनपद संतकबीर नगर को आज दिनांक 03.10.2024 को धनघटा चौराहे से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा थाना धनघटा पर वादिनी की नाबालिग पुत्री के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करने व घटना के सम्बन्ध में किसी को सूचना देने पर जान से मारने की धमकी देने के संबंध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसके उपरान्त थाना धनघटा पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए उक्त आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- प्रभारी निरीक्षक श्री अनिल कुमार, का0 महेन्द्र निषाद, का0 रजनीश यादव।

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म करने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेहदावल ***श्री केशवनाथ*** के निकट पर्यवेक्षण में ***थाना बेलहरकला पुलिस* द्वारा** मु0अ0सं0 211/2024 धारा 191(2)/115(2)/352/351(3)/69 बीएनएस के मामले मे वांछित अभियुक्त नाम पता मो0 सुफियान पुत्र मुस्ताक अहमद निवासी जंगल दशहर थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर को आज दिनांक 03.10.2024 को पंचायत भवन झुड़िया से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा थाना बेलहरकला पर वादिनी को शादी का झांसा देकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने,चोरी से फोटो व विडियों बनाने के सम्बन्ध में किसी को सूचना देने पर जान से मारने की धमकी,मारपीट-गाली गलौज देने के संबंध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसके उपरान्त थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए उक्त आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री लाल बिहारी निषाद, का0 राहुल कुमार, का0 अनिल कुमार यादव ।

थाना महुली पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में वाँछित बालअपचारी गिरफ्तार,अपहृता बरामद

जनपद में *मिशन शक्ति अभियान* के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत क्षेत्राधिकारी महुली ***श्री अजय सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में ***थाना महुली पुलिस द्वारा*** मु0अ0स0 355/2024 धारा 137(2)/87 बीएनएस के मामले में वांछित बाल अपचारी नाम पता आदित्य चमार पुत्र बिफई निवासी सुअरहा थाना लालगंज जनपद बस्ती को नाथनगर तिराहा के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त बाल अपचारी द्वारा दिनांक 01.10.2024 को वादी की पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था, जिसके संबंध में वादी द्वारा थाना स्थानीय पर दिनांक 02.10.2024 को अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना महुली पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही कर आज दिनांक 03.10.2024 को उक्त बाल अपचाली को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया तथा अपहृता को बरामद किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री विरेन्द्र मिश्र, का0 अमरजीत यादव, म0का0 पूजा चौहान।